

प्रेषक,

पंजीकृत

संयुक्त शिक्षा निदेशक,  
बरेली मण्डल, बरेली।

सेवा में,

सचिव  
केन्द्रिय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,  
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

पत्रांक:

सी0बी0एस0ई0/ 991-97 /2021-22

दिनांक 23 जून 2021

विषय:-

श्री भारती पब्लिक स्कूल, निकट-आठवीं बटालियन पी0ए0सी0, नकटिया, बरेली को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाने के संदर्भ में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये अवगत कराना है कि शासनादेश दिनांक 14-07-09 के क्रम में गठित समिति के निर्णय दि 23.06.2021 के क्रम में उक्त संदर्भित विद्यालय को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

- 01- विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 02- विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 03- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 04- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजुकेशन नई दिल्ली/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
- 05- संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- 06- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति के लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 07- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
- 08- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- 09- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा, यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है, तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा। दिनांक 23.06.2021 को समिति की बैठक में लिए गये निर्णय सम्बन्धी कार्यवृत्त की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित हैं।

संलग्न :-कार्यवृत्त की छाया प्रति

भवदीय


(डा0प्रदीप कुमार)  
संयुक्त शिक्षा निदेशक  
बरेली मण्डल, बरेली।

क्रमशः 2 पर शेष.....

(2)

पृ०सं०: सी०बी०एस०ई० / १११ - १७ / 2021-22 दिनांक उक्तवत् ।  
प्रतिलिपि: निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01 आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली ।  
02 जिलाधिकारी, बरेली ।  
03 संयुक्त सचिव, उ०प्र० शासन, शिक्षा अनुभाग-7 लखनऊ ।  
04 शिक्षा निदेशक (मा०) उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।  
05 जिला विद्यालय निरीक्षक, बरेली ।  
06 निरीक्षण, आंग्ल भाषा भारतीय विद्यालय उ०प्र०, लखनऊ ।  
07 प्रबन्धक/प्रधानाचार्य श्री भारती पब्लिक स्कूल, निकट-आठवीं बटालियन, पी०ए०सी०, नकटिया, बरेली ।

  
संयुक्त शिक्षा निदेशक  
बरेली मण्डल, बरेली ।  
23/6/22